□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख्□□: 2259
23 □□□□□, 2020 □□ □□□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्त□

‘ट्रांस फैट्स’ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ प्र□□□

2259. श्री □□द्यु□ □□□ □□□□□
श्री □□□□ □त्त□
श्री □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□
श्री श्री□□□ □ष्□□ □□□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) क्या देश के लोग ‘ट्रांस फैट्स’ का उपयोग करने के दुष्प्रभावों के बारे म अभी भी अवगत नहीं ह और यदि हां, तो इसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एफएसएसएआई ने ‘ट्रांस फैट्स’ के बारे म जागरूकता पैदा करने के लिए एक नया जनसंचार अभियान चलाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश म ‘ट्रांस फैट्स’ के उपयोग को वष 2022 तक समाप्त करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एफएसएसएआई ने तेल, वसा और खाद्य उत्पादों से निष्कर्षित वसा को समाप्त करने के संबंध म विश्व स्वास्थ्य संगठन की दो प्रतिशत की अधिदेशित सीमा पर खरा उतरने के लिए कोई प्रारूप विनियम जारी किए ह और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त विनियमों को सरकार द्वारा कब तक अधिसूचित किए जाने की संभावना है; और

(च) क्या सरकार ने जारी किए गए विनियमों के अनुपालन को दज करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>□त्त□</u>
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्री (श्री □श्वि□□ □□□□ □□□)□

(क) और (ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ईट राईट अभियान के तहत निरंतर ईट राईट संदेश प्रसारित कर रहा है। एफएसएसएआई डाइट्री विविधता और संतुलित आहार, कम और समय पर भोजन, भोजन से टॉक्सिक इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स को समाप्त करने, नमक, चीनी और सैचुरेटिड फैट उपभोग को कम करने को बढ़ावा दे रहा है।

इसके अतिरिक्त सुविख्यात व्यक्तियों जैसे श्री विराट कोहली और श्री राजकुमार राव के माध्यम से सूचित खाद्य विकल्पों के प्रति व्यवहार परिवतन के लिए बड़े पैमाने पर अभियानों को आरंभ किया गया है।

सामग्री और मैसजिग (प्रिंट, डिजिटल ऑडियो और वीडियो) के समृद्ध भंडार का सृजन किया गया है और विभिन्न समारोहों और प्रदशनियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रचालित किया जा रहा है।

एफएसएआई ने ट्रांस फैट के दुष्प्रभावों पर उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए 'हट अटैक रिवाइंड' मास मीडिया अभियान को आरंभ किया है। 'हट अटैक रिवाइंड' 30-सेकंड को सावजनिक सेवा घोषणा है। जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर 17 भाषाओं म प्रसारित किया गया है। अभियान का उद्देश्य स्वस्थ विकल्पों के माध्यम से ट्रांस फैट के उपभोग के स्वास्थ्य संकटों के बारे म नागरिकों को चेतावनी देना और उनसे बचने के लिए कायनीतियां प्रदान करना ह।

एफएसएसआई ने "ट्रांस फैट फ्री" लोगो आरंभ किया है। खाद्य प्रतिष्ठान जो ट्रांस फैट मुक्त फैट/ ऑइल का प्रयोग करते ह और जिनके पास खाद्य के 0.2 ग्राम/ 100 ग्राम से अधिक औद्योगिक ट्रांस फैट नहों है, वे खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम 2018 के अनुसरण म आउटलेट्स और अपने उत्पादों पर "ट्रांस फैट फ्री" लोगो का प्रदशन कर सकते ह। उक्त लोगो का प्रयोग स्वैच्छिक है।

(ग) से (ड): वनस्पति, बेकरी शार्टनिग, बेकरी और औद्योगिक मारग्रीन और इंटरईस्टेरिफाइट वेजिटेबल वसा/ तेल म ट्रांस फैट को सीमा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य पदाथ) विनियम, 2011 के तहत 5% से अधिक न होना निर्धारित है।

एफएसएसएआई वष 2022 तक चरणबद्ध तरीके से ट्रांस फैट 2% से कम करने के लिए खाद्य तेलों और फैट्स जैसे को वनस्पति, बेकरी शार्टनिग, बेकरी और औद्योगिक मारग्रीन इंटरईस्टेरिफाइट वेजिटेबल ऑइल, आंशिक रूप से हाइड्रोजेनेटिड सोयाबीन तेल, टेबल मारग्रीन, मिक्सड फैट स्प्रेड और वेजिटेबल फैट स्प्रेड आदि म ट्रांस फैट सामग्री को सीमा को कम करने के लिए नियमित रूप से काय कर रही है।

(च): खाद्य सुरक्षा और प्रवतन अधिनियम, 2006 और नियमों तथा उसके तहत अधिसूचित विनियमों का कायान्वयन और प्रवतन मुख्यत: राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों सरकारों के अधीन है।

खाद्य उत्पादों को नियमित निगरानी, मॉनिटरिग, निरीक्षण और रडम सपलिग को जांच संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों के अधिकारियों द्वारा को जाती है, ताकि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और नियमों और उनके तहत बनाए गए विनियम के तहत निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित हो। ऐसे मामलों म जहां खाद्य के नमूने नियमों के अनुरूप नहों पाए जाते ह, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अध्याय IX के तहत दांडिक प्रावधानों का सहारा लिया जाता है।

******